

July 12, 2025

To

<b>BSE Limited</b> Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001  <b>Scrip Code: 533344</b>	<b>National Stock Exchange of India Limited</b> Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra- Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400051  <b>Scrip Symbol: PFS</b>
---	--

**Sub.: Newspaper Advertisement regarding 19<sup>th</sup> Annual General Meeting ('AGM')**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with MCA Circulars issued from time to time, please find enclosed copies of Newspaper Advertisements published in Financial Express (English) – Delhi Edition and Jansatta (Hindi) – Delhi Edition on Saturday, July 12, 2025 in respect of 19<sup>th</sup> AGM of the Company scheduled to be held on Wednesday, 6<sup>th</sup> August, 2025, through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM).

This same is also available on the website of the Company at [www.ptcfinancial.com](http://www.ptcfinancial.com).

This is for your information and records please.

Yours faithfully,

**For PTC India Financial Services Limited**

**Manohar Balwani**  
**Company Secretary**

Enclosed: as above



**Criminal Courts, Ludhiana**  
In The Court Of Ms. Ramanpreet Kaur  
JMIC Ludhiana  
COMA/2024/2023 Pesh: 08-08-2025  
publication notice for proclamation under section 82 CRPC compliant nr-sec-138 of N.I.ACT  
Gurmeet Singh Vs. M/s Vijay Cycle Store  
CNR No. PBLD03-032010-2022  
Notice To: m/s vijay cycle store, through its prop. shiva raj, MIG h. no. 10 s v plaza, santosh nagar, near yaadgiri theatre, santosh nagar, hydrabad  
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named can't be served in the ordinary way of service, hence this proclamation under section 82 crpc is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 08-08-2025 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, given under my hand and the seal of the court, for details login to: [https://highcourthd.gov.in/7rs-district\\_n\\_0tice&district=ludhiana](https://highcourthd.gov.in/7rs-district_n_0tice&district=ludhiana)  
JMIC Ludhiana

**Criminal Courts, Ludhiana**  
In The Court Of Ms. Ramanpreet Kaur  
JMIC Ludhiana  
COMA/2024/2023 Pesh: 08-08-2025  
publication notice for proclamation under section 82 CRPC compliant nr-sec-138 of N.I.ACT  
M/s MGM Financiers Pvt. Ltd. Vs. Vivek Trikoth Dhobi  
CNR No. PBLD03-032010-2022  
Notice To: Vivek Trikoth Dhobi/S/O Trikoth Shashi Dhobi/S/O Balu Ji Krukha Chs, D 704, Sector 28, Near Nerul Gymkhana, Nerul West Navi Mumbai  
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named can't be served in the ordinary way of service, hence this proclamation under section 82 crpc is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 08-08-2025 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, given under my hand and the seal of the court, for details login to: [https://highcourthd.gov.in/7rs-district\\_n\\_0tice&district=ludhiana](https://highcourthd.gov.in/7rs-district_n_0tice&district=ludhiana)  
JMIC Ludhiana

**COURT NOTICE**  
(U/o 5 Rule 20 CPC)  
IN THE COURT OF Jasbir Kaur  
Principal Judge, Family Court, Pathankot  
Pankaj Kumar Vs. Sweety  
CNR No. PBPC01-000691-2024  
Next Date: - 12-08-2025  
Publication Issued To:  
:-D/O Jojoinder Pal  
Resident of Village Kailashpur, Post office Sujanpur, District Pathankot.  
AT Present - Resident of House No. G1481 Near Durga Mandir, Naghu, Tehsil Nigdhra District Karnal, Haryana.  
Vikram Singh  
:-S/O Mahinder Singh  
Resident of House no. G1481, Near Durga Mandir, Nigdhra, Tehsil Nigdhra, District Karnal, Haryana  
in above titled case, the defendant/s/respondent/s could not be served. It is ordered that defendant/s/respondent/s should appear in person on the following court dates: **12-08-2025 at 10:00 AM.** For details login to: [https://highcourthd.gov.in/7rs-district\\_n\\_0tice&district=pathankot](https://highcourthd.gov.in/7rs-district_n_0tice&district=pathankot)  
Jasbir Kaur Principal Judge, Family Court Pathankot

**एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड** (ए प्रोड्यूस्ड कर्पोरेशन बैंक)  
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेपवर गार्डन, अन्वर रोड, खयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)  
**सिब्यूटिडाइजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना पत्र**  
अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं। "वित्तीय आसक्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्धन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के विरुद्ध निम्नलिखित आसक्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणियों/साह-ऋणियों/ गारण्टर/बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणियों के नाम से सम्बोधित किया जाएगा) को 60 दिनों के नोटिफिकेशन प्रेषित किया है, नोटिफिकेशन के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदात शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अंतर्गत कानून उद्देश्य हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूति आसक्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा कानून विषयक कर्तव्य करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण कक्षाएं ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा बर्बाद हुए लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करावें। यदि इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के परभाव प्रभुत्व लेनदार की पूर्ण लिखित रायसति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किसी प्रतिभूति आसक्तियों को बिक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तर्गत नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) संपत्ति नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक संपत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी सचों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूति लेनदार द्वारा बिक्रय या अन्तर्गत के विषय निःशुल्क सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके चुकाने का अधिकार है।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/साहऋणी/ गारण्टर का नाम	ऋण की अवधि नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण
(खाता सं.) L9001060121496168 मैसर्स राधेकर टेक्स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी), श्रीमती प्रिया गुप्ता (साह-ऋणी)	21 मई 2025 ₹ 50,16,197/- रु. पचास लाख सोलह हजार एक सौ सत्तरवायें मात्र दिनांक 13 मई 2025	सम्पत्ति स्थित- विहारिंग नं. 16/871-ई, बाग पुर, पदमा सिंह रोड, करोल बाग, दिल्ली क्षेत्रफल 35 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060125307031 अनुज नगर (ऋणी), अरुण कुमार (साह-ऋणी), राजपाल सिंह (साह-ऋणी), श्रीमती सुनीता राजपाल (साह-ऋणी)	20 मई 2025 ₹ 13,79,614/- रु. तेरह लाख उनसती हजार छः सौ चौदह मात्र दिनांक 13 मई 2025	सम्पत्ति स्थित- खसर नं. 314, तहसील- दादरी, शिव मंदिर, जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर
(खाता सं.) L9001060142333935 मिंटू (ऋणी), प्रसादी (साह-ऋणी), श्रीमती मनोज (साह-ऋणी)	22 मई 2025 ₹ 20,85,162/- रु. बीस लाख पचासी हजार एक सौ बासठ मात्र दिनांक 13 मई 2025	सम्पत्ति स्थित खसर 98डी के बाहर, मांग-सुधाना परगना, तहसील-दादरी, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 283 वर्ग गज

स्थान : दिल्ली दिनांक: 11-07-2025 प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

**AUTHUM** 707 इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड  
पंजीकृत कार्यालय: आर.डी. रोड जलंत रोड, नर्मदा पार्क, मुंबई-21, दूभाबा (कांठ) 6747 2117 फ़ैक्स: (022) 6747 2118 ई-मेल: info@authum.com  
कार्यालय: कार्यालय-1216-1220, 12वीं मंजिल, 31/20 मॉडल टाउन, प्लॉट संख्या-21, कस्तूरबा गंधी हिल्स, कान्ठ प्लेन, नई दिल्ली-110001

**कच्चा सूचना**  
(प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के अनुसार)  
आरबीआई के प्रवृद्धिगत प्रवर्धक के तहत 7 जून, 2019 को तैयार किया गया फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) को वित्तीय समाधान योजना के अनुसार, और 3 मार्च, 2023 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, 25 मार्च, 2023 के प्रेषणकर्ता के संकल्प के साथ, आरएचएफएल ने अपने व्यवसाय को, सभी ऋण-संबंधी अधिकारों और देवदारियों सहित, वित्तीय कर्मचारी फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) को एक मंदा विक्री के माध्यम से स्थानान्तरित कर दिया। इसके बाद, आरसीएफएल को 15 जनवरी, 2021 को अपनी समाधान योजना के हिस्से के रूप में आरबीआई इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ("एआईआईएफएल") द्वारा अधिग्रहित किया गया था। इसके अलावा, माननीय एनसीएलटी, 10 मई, 2024 के अपने आदेश के माध्यम से आरसीएफएल के ऋण कारोबार को एआईआईएफएल में विभाजित करने को मंजूरी दे दी।  
जैसा कि अधोहस्ताक्षर ने, वित्तीय आसक्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरबीआई इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 7 मार्च 2025 को एक मांग सूचना जारी कर कर्जदार(रों)/साह-कर्जदार(रों) 1) मोहम्मद समीर, 2) सीमा जहरी दोनों प्लॉट नंबर 4, खसर नंबर 29 30 34-ए और 35 के हिस्से पर बने घर में हैं, गांव-खैरपुर हबीबपुर खार्ड - सदतगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226003 इसके अलावा: प्लॉट नंबर 2, खसर नंबर 164 का हिस्सा, मलतपुर, खार्ड हैदरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226003 ऋण खाता संख्या RHHLK0000053917, RHHTLKN000056718 और RHLLK0000060657 के माध्यम से नोटिफिकेशन में उल्लिखित मांग रु. 9638990.27/- (रुपये) विषयवस्तु लाख अड़सती हजार नौ सौ नव्वे और सवाह्रसैं पैसे मात्र। ऋण समझौते के विवरण 31 जनवरी, 2025 तक उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा।  
कर्जदार(रों)/साह-कर्जदार(रों) द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद्वारा कर्जदार/साह-कर्जदारों और आरबीआई इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ("एआईआईएफएल") द्वारा अधिग्रहित किया गया था। इसके अलावा, माननीय एनसीएलटी, 10 मई, 2024 के अपने आदेश के माध्यम से आरसीएफएल के ऋण कारोबार को एआईआईएफएल में विभाजित करने को मंजूरी दे दी।  
कर्जदार(रों)/साह-कर्जदार(रों) को विशेष रूप से तथा आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन 23 जून, 2025 तक रु.10251352/- (रुपये) एक करोड़ दो लाख इस्वायन हजार तीस सौ बावन मात्र। तथा उस पर ब्याज, लागत, व्यय एवं अन्य प्रभारों के लिए आरबीआई इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।  
कर्जदार/साह-कर्जदार/बंधककर्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूति परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय में सरकारी अधिनियम की धारा 13(8) के अध्यायन की ओर आकर्षित किया जाता है।

**अचल संपत्ति का विवरण**  
बंधक संपत्ति संख्या 1 का विवरण ऋण खाता संख्या RHHTLKN000056718 और RHLLK0000053917 के अंतर्गत।  
संपत्ति का समतल भाग, प्लॉट संख्या 4 पर बना मकान, खसर संख्या 29 30 34-ए और 35 का हिस्सा, गांव-खैरपुर हबीबपुर खार्ड - सदतगंज, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226003, क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट (55,762 वर्ग मीटर) पूर्व: भूमि संख्या 03, पश्चिम: भूमि संख्या 05, उत्तर: मकान, दक्षिण: सड़क, 20 फीट चौड़ी और बंधक संपत्ति संख्या 2 का विवरण। ऋण खाता संख्या RHHLK0000060657 संपत्ति का समतल भाग, प्लॉट संख्या 2, खसर संख्या 164 का भाग, मलतपुर खार्ड, हैदरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226003, क्षेत्रफल 148.698 वर्ग मीटर। सीमा: पूर्व: प्लॉट संख्या 751, पश्चिम: 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: प्लॉट इस्लाम का, दक्षिण: प्लॉट संख्या 1।  
तिथि : 10.07.2025 आधिकृत प्राधिकारी स्थान : लखनऊ आरबीआई इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड  
किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया श्री पंकज जयंत से संपर्क करें- 9999748087 या customercarehd@authum.com

**MANAPPURAM HOME FINANCE LIMITED**  
FORMERLY MANAPPURAM HOME FINANCE PVT LTD  
CIN : U05923KL2010PLC039179  
सूचित 301-315, तृतीय तल, ए. विंग, कानकिया बॉल क्लब, अंधेरी ईस्ट, मुंबई - 400093  
संपर्क नंबर: 022-68194000/022-68211000

**बैंक अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिनियम 2002 के अधिनियम 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना पत्र**  
अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं। "वित्तीय आसक्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्धन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के विरुद्ध निम्नलिखित आसक्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणियों/साह-ऋणियों/ गारण्टर/बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणियों के नाम से सम्बोधित किया जाएगा) को 60 दिनों के नोटिफिकेशन प्रेषित किया है, नोटिफिकेशन के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदात शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अंतर्गत कानून उद्देश्य हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूति आसक्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा कानून विषयक कर्तव्य करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण कक्षाएं ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा बर्बाद हुए लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करावें। यदि इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के परभाव प्रभुत्व लेनदार की पूर्ण लिखित रायसति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किसी प्रतिभूति आसक्तियों को बिक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तर्गत नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) संपत्ति नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक संपत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी सचों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूति लेनदार द्वारा बिक्रय या अन्तर्गत के विषय निःशुल्क सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके चुकाने का अधिकार है।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/साहऋणी/ गारण्टर का नाम	ऋण की अवधि नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण
(खाता सं.) L9001060121496168 मैसर्स राधेकर टेक्स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी), श्रीमती प्रिया गुप्ता (साह-ऋणी)	21 मई 2025 ₹ 50,16,197/- रु. पचास लाख सोलह हजार एक सौ सत्तरवायें मात्र दिनांक 13 मई 2025	सम्पत्ति स्थित- विहारिंग नं. 16/871-ई, बाग पुर, पदमा सिंह रोड, करोल बाग, दिल्ली क्षेत्रफल 35 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060125307031 अनुज नगर (ऋणी), अरुण कुमार (साह-ऋणी), राजपाल सिंह (साह-ऋणी), श्रीमती सुनीता राजपाल (साह-ऋणी)	20 मई 2025 ₹ 13,79,614/- रु. तेरह लाख उनसती हजार छः सौ चौदह मात्र दिनांक 13 मई 2025	सम्पत्ति स्थित- खसर नं. 314, तहसील- दादरी, शिव मंदिर, जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर
(खाता सं.) L9001060142333935 मिंटू (ऋणी), प्रसादी (साह-ऋणी), श्रीमती मनोज (साह-ऋणी)	22 मई 2025 ₹ 20,85,162/- रु. बीस लाख पचासी हजार एक सौ बासठ मात्र दिनांक 13 मई 2025	सम्पत्ति स्थित खसर 98डी के बाहर, मांग-सुधाना परगना, तहसील-दादरी, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 283 वर्ग गज

स्थान : दिल्ली दिनांक: 11-07-2025 प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

**इण्डियन ओवरसीज बैंक** (भारत सरकार का उपक्रम)  
**INDIAN OVERSEAS BANK** (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)  
द्वितीय कार्यालय-लखनऊ केन्द्रीय कार्यालय-चेन्नई  
कच्चा नोटिस [नियम 8(1)]  
वित्तीय आसक्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम 2002, (अपल संपत्ति हेतु)  
अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं। "वित्तीय आसक्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्धन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के विरुद्ध निम्नलिखित आसक्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणियों/साह-ऋणियों/ गारण्टर/बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणियों के नाम से सम्बोधित किया जाएगा) को 60 दिनों के नोटिफिकेशन प्रेषित किया है, नोटिफिकेशन के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदात शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अंतर्गत कानून उद्देश्य हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूति आसक्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा कानून विषयक कर्तव्य करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण कक्षाएं ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा बर्बाद हुए लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करावें। यदि इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के परभाव प्रभुत्व लेनदार की पूर्ण लिखित रायसति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किसी प्रतिभूति आसक्तियों को बिक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तर्गत नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) संपत्ति नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्धन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक संपत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी सचों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूति लेनदार द्वारा बिक्रय या अन्तर्गत के विषय निःशुल्क सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके चुकाने का अधिकार है।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/साहऋणी/ गारण्टर का नाम एवं पता	ऋण की अवधि नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण
1. श्री अश्विनी कुमार अग्रिहोत्री पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद, निवासी राजपुर नगर, शिवराजपुर, जिला-काठमांडू नगर, उत्तर प्रदेश, 209205 (ऋणी)	21 मई 2025 ₹ 2,48,204.64 रु. दो लाख अठ्ठाठ्ठा बीस मात्र दिनांक 08.07.2025 तक +मंथव्य का ब्याज संचिदात्मक दर पर एवं अन्य खर्च आदि	मकान स्थित आराजी संख्या 619- अराजी संख्या 619 का भाग राजपुर नगर पंचायत शिवराजपुर तहसील एवं परगना बिस्वाही, जिला-काठमांडू नगर, उत्तर प्रदेश, 209205 (ऋणी)
2. श्रीमती मन्ना पत्नी राजेंद्र प्रसाद निवासी राजेंद्र प्रसाद पत्नी राजेंद्र प्रसाद निवासी खुली मिठू गुरु प्रसाद और अन्य, उत्तर: रास्ता 8.5 फीट, पश्चिम: खुला प्लॉट शिव प्रसाद, दक्षिण: काठमांडू नगर-209205 (जमानतकर्ता / बंधककर्ता)	21 मई 2025 ₹ 25,61,737.30 +मंथव्य का ब्याज संचिदात्मक दर पर एवं अन्य खर्च आदि	मकान स्थित आराजी संख्या 619- अराजी संख्या 619 का भाग राजपुर नगर पंचायत शिवराजपुर तहसील एवं परगना बिस्वाही, जिला-काठमांडू नगर, उत्तर प्रदेश, 209205 (ऋणी)

स्थान: कानपुर दिनांक: 09.07.2025 प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

**जगसनपाल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड**  
सौभाग्यलक्ष L65929DL1991PLC043182  
पंजीकृत कार्यालय: लेखन अड्डा, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

**पी टी सी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**  
पी टी सी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-वीडियो मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।  
1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("कम्पनी") की 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") बुधवार, 6 अगस्त, 2025 को दोपहर 12 बजे, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिषद संख्या 09/2024 दिनांकित 19 सितंबर 2024, सामान्य परिषद संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितंबर 2023, सामान्य परिषद संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020 कमानुसार और अन्य परिषद (सामूहिक रूप से "परिषद परिषद" के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिषद संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांकित 3 अक्टूबर 2024 ("सीबी परिषद") (सामूहिक रूप से "परिषद" के रूप में संदर्भित) के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रें